न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 04/2020 — दायरा दिनांक 12.11.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. धनपाल पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला – बारां
2. सूरजमल पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
3. रामदयाल पुत्र हरदेव जाति माली निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
4. रघुवीर पुत्र ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
5. गीताराम पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी अहमदी तहसील किशनगंजश जिला–बारां
6. बृजमोहन पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
7. मुकेश पुत्र घनश्याम जाति सहरिया निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला बारां
8. ओमप्रकाश पुत्र गंगाधर जाति माली निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
9. राधेश्याम पुत्र मुकुट बिहारी जाति माली निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
10. मनोज पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
11. मोहन पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी अहमदी तहसील किशनगंज जिला–बारां

– प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र नैनूराम जाति बैरवा निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला–बारां

– अप्रार्थी

उपस्थित

1. **श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री रामकिशन नागर, अभिभाषक अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त किये जाने बाबत्।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:57 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम [illegible] के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को किये

गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 243, जिसका हाल खसरा नम्बर 243/1 रकबा 4.15 बीघा है जो आराजी ग्राम अहमदी तहसील किशनगंज में स्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थी ने मिस रिप्रजेन्टेशन तथा धोखाधड़ी कर राजस्व कर्मचारियों की सांठगांठ से स्वयं को शंकरलाल पुत्र श्योजीराम जाति बैरवा निवासी अहमदी बताकर आराजी को आवंटन करवा लिया है। जबकि अप्रार्थी शंकरलाल के पिता का नाम नैनूराम है। इस प्रकार से अप्रार्थी ने धोखाधडी कर अपनी वल्दियत छुपाकर उक्त आराजी का स्वयं के नाम आवंटन करवाया है। इस प्रकार मिस रिप्रजेन्टशन व धोखाधडी से करवाया गया आवंटन दिनांक 23.05.1989 निरस्तनीय है। आवंटन कमेटी से धोखाधडी से करवाया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तथा उक्त आराजी में होकर जो कि उत्तर दिशा में बैरवा बस्ती स्थित है। दक्षिण की ओर अहमदी गांव स्थित है तथा बैरवा बस्ती व अहमदी गांव के व्यक्ति उक्त आराजी में होकर ही आते–जाते है, उक्त आराजी में होकर आमरास्ता है जो अप्रार्थी प्रार्थीगण किसानों के खेतों पर आने जाने के उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है, उक्त आराजी में होकर ही अपने–अपने खेतों पर आने जाने का एक मात्र प्रार्थीगणों का रास्ता है, अन्यत्र होकर कही से कोई रास्ता नहीं है यदि किसानों का रास्ता अवरूद्ध हो गया तो प्रार्थीगण किसान अपने खेतो पर आने–जाने सें वंचित हो जावेगें एवं प्रार्थीगण किसानों की आराजीयात पडत रहने की सम्भावना बनी हुई है। उक्त आराजी में दो बरगद के पेड है तथा उक्त आराजी में प्राचीन हनुमान जी मन्दिर, शीतला माता का व महादेव जी का मन्दिर भी है, जहा पर लोग दूर–दूर से व प्रार्थीगण दर्शनार्थ आते–जाते है, इस प्रकार उक्त आराजी का आवंटन करके तथा राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थी से मिलकर ग्रामवासियों की अनदेखी कर किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। वक्त आवंटन अप्रार्थी के पिता के खाते में जो अप्रार्थी का पिता नैनूराम पुत्र भैरूलाल है, ग्राम अहमदी में 16 बीघा 17 बिस्वा जमीन है, इस प्रकार अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए भी अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन कमैटी द्वारा आवंटन की उद्घोषणा किये गये बिना ही किया गया आवंटन निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजी के मौके की स्थिति जांच किये बिना किया गया आवंटन निरस्तनीय है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी से मिलीभगत कर जो आवंटन किया गया है वह निरस्तनीय है। उक्त आराजी में होकर ग्राम अहमदी के ग्रामवासियों व किसानों के आने–जाने का आम रास्ता होने से तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी में हनुमान जी, शीतला माता व महादेव जी मन्दिर होने से तथा ग्रामवासी व प्रार्थीगण आम रास्ते व दर्शन, सेवा पूजा से वंचित हो जावेगें, इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्तनीय है तथा उक्त आराजी आवंटन योग्य न होने से भी आवंटन निरस्तनीय है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने आवंटन के समय कोई मिस रिप्रजेन्टेशन अथवा धोखाधडी नही की है, और न ही राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ की। राजस्व कर्मचारियों पर लगाये गए आरोप बेबुनियाद है। अपितु अप्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है जो कि अंगूठा लगता है। जिसकी पुष्टि आवंटन फार्म तथा पत्रावली में मौजूद अन्य दस्तावेजो से होती है। इसी कारण आवंटन के समय हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी का आवेदन पत्र भरते समय अप्रार्थी के पिता का नाम नैनराम के बजाय श्योजीराम सहवन से गलत अंकित कर दिया उस समय आवंटन आवेदन पत्र को प्रार्थी अनपढ़ होने के कारण नहीं पढ़ पाया। अप्रार्थी को उक्त जानकारी सन् 2006 में हुई। तब अप्रार्थी का नियमानुसार न्यायालय उप जिला कलक्टर किशनगंज द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर निर्णित किया जाकर नामान्तरकरण 373 दिनांक 18.02.2008 से अप्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दूरस्त कर नैनूराम दर्ज किया गया है। तो वर्तमान तक बदस्तूर दर्ज चला आ रहा है।

अप्रार्थी को खसरा नम्बर 243/1 की 4.15 बीघा आराजी को वर्ष 1989 में आवंटन के समय से आज दिन तक अप्रार्थी नियमित रूप से काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकलों से होती है और आगे कथन है कि उक्त आराजी के उत्तर की ओर से बैरवा बस्ती नहीं है बल्कि खसरा नम्बर 208/0.67 हैक्टेयर (सार्वजनिक खलियान), खसरा नम्बर 349/0.14 हैक्टेयर भूमि (खातेदार छीतरलाल वगै.) एवं खसरा नम्बर 348/0.14 हैक्टेयर कृषि भूमि (खातेदार दुलीचन्द वगै.) की स्थिति है। अप्रार्थी के खाते की आराजी में प्रार्थीगण के खेतों अथवा गांव अहमदी में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी की आराजी के दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 226 रकबा 0.06 गैरमुमकीन रास्ता है। जिससे होकर ग्रामवासी आते–जाते है। जैसा कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शे की नकलों से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की भूमि के पड़त रहने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 243/1 की 4.15 बीघा आराजी में कोई पेड़ अथवा हनुमान जी, शीतला माता एवं महादेव जी के मन्दिर स्थित नहीं है। अप्रार्थी के खाते की भूमि खसरा गिरदावरी 2063 से 2077 की नकलों से स्पष्ट प्रमाणित है। जिससे कहीं भी हनुमान जी, शीतला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:57 IST
Reason: SelfAttested

माता एवं महोदव जी के मन्दिरों का उल्लेख/टीप नहीं है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थी एवं उसके गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो से होती है।

प्रार्थीगण का यह कहना बेबुनियाद एवं मनगढ़न्त है कि दिनांक 23.05.1989 (अर्थात् सम्वत् 2045) में अप्रार्थी के पिता नेनूराम पुत्र भैरूलाल के खाते में अमहदी में 16 बीघा 17 बिस्वा जमीन थी। जबकि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह साबित होता हो कि आवंटन के समय अप्रार्थी भूमिहीन नहीं हो। अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में जमाबन्दी खाता संख्या 42 सम्वत् 2051–2054 पैश की है जिसके मुताबिक अप्रार्थी के पिता के खाते में 10 बीघा 8 बिस्वा जमीन थी। और अप्रार्थी 5 भाई, बहन एवं पिता सहित परिवार में 6 जीवित सदस्य थे। इसलिए अप्रार्थी शंकर नोशनल शेयर के मुताबिक 1/6 अर्थात् (1.15 बीघा) का हिस्सेदार था। जो कि (बैरवा) अनुसूचित जाति भूमिहीन मजदूर कृषक था। और आवंटन हेतु पात्र होने की विस्तृत जांच करने के बाद ही अप्रार्थी को आवंटन हेतु पात्र मानकर उक्त आराजी के आवंटन हेतु उपलब्ध होने की विधिवत तरीके से विस्तृत जांच के पश्चात् ही आवंटन कमेटी के पूर्ण कोरम में नियमानुसार अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन किया है। एवं प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त आराजी के आवंटन बाबत् उद्घोषणा जारी नहीं की गई हो। ऐसी सूरज में अप्रार्थी को किया गया आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता अपितु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 243/1 रकबा 4.15 बीघा ग्राम अहमदी का आवंटन दिनांक 23.05.1989 को अप्रार्थी को राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के तहत गठित आवंटन सलाहकार समिति के तीन सदस्यों के पूर्ण कोरम किया गया था। और अप्रार्थी को दखल दिया गया था इसके बाद भी अप्रार्थी ने विवादित आराजी को काश्त योग्य बनाने में काफी मेहनत की है। और काफी पैसा खर्च किया है और विवादित आराजी को आवंटन के समय से अप्रार्थी नियमित काश्त करता चला आ रहा है और अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी को तहसीलदार किशनगंज द्वारा कब्जे के आधार पर 22 वर्ष (नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 24.04.2000) पूर्व खातेदारी अधिकारों की पुष्टि की जा चुकी है और वर्तमान में अप्रार्थी विवादित आराजी के चालू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। आर.आर.डी. 1996 पेज 525 छीतरमल बगै. बनाम स्टेट आफ राज. एवं 1995 आर.बी.जे. पेज क्र. 780 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच ने अपने निर्णय में यह प्रतिपादित किया [illegible] तराम बनाम स्टेट ऑफ राज. जो कि उन्होंने सिविल रिट पिटीशन नम्बर 948[illegible] पारित कि[illegible]। जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:57 IST
Reason: SelfAttested

किया है कि एक बार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बाद कलक्टर को 1970 के आवंटन नियमों के नियम 14(4) तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी भी आवंटी को एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तो उसकी खातेदारी को आर.टी. एक्ट. के प्रावधानों के अनुरूप ही खारिज किया जा सकता है, न कि आवंटन नियमों के नियम 14(4) में इस निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद केवल तकनीकी आधार पर इतने लम्बे समय के बाद किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकारों को आवंटन नियमों की धारा 14(4) के तहत खारिज नही किया जा सकता। और अप्रार्थी ने विवादित आराजी पर बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जलवाडा से कृषि ऋण ले रखा है। जो अप्रार्थी को विवादित आराजी पर कब्जे की पुष्टि करने के बाद ही दिया गया है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत चमार (अनुसूचित जाति) आदिम जाति है। जिसको गरीब एवं भूमिहीन अशिक्षित लोगों को जीविकापार्जन हेतु वर्ष 1989 में 4.15 बीघा भूमि का आवंटन विधिसम्मत तरीके से किया गया है। लेकिन प्रार्थीगण अनावश्यक रूप से रूपये हडपने के लिए अप्रार्थी पर निरन्तर दबाव बना रहें हैं तथा इस भूमि को छुडवाने के प्रयास में है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण को यदि उक्त आवंटन बाबत् कोई आपत्ति थी तो प्रार्थीगण को उसी समय कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थीगण ने 33 वर्ष तक क्यों इन्तजार किया। प्रार्थीगण ने 33 वर्ष (लगभग तीन दशक) बाद इतने विलम्ब से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया है। इतने विलम्ब का क्या कारण रहा इसका कोई उल्लेख प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। और इतने विलम्ब को माफ करने के लिए प्रार्थी ने न तो धारा 5 भा0 मियाद अधि0 बाबत् कोई प्रार्थना पत्र और न ही कोई शपथ पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि उक्त आराजी को अप्रार्थी ने मिस रिप्रजेन्टेशन तथा धोखाधडी कर राजस्व कर्मचारियों की सांठगांठ से स्वयं को शंकरलाल पुत्र श्योजीराम जाति बैरवा निवासी अहमदी बताकर आराजी को आवंटन करवा लिया है। जबकि अप्रार्थी शंकरलाल के पिता का नाम नैनूराम है। इस प्रकार से अप्रार्थी ने धोखाधडी कर अपनी वल्दियत छुपाकर उक्त आराजी का स्वयं के नाम आवंटन करवाया है। ...वा... भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:57 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि नियमानुसार आवंटन किया गया है आवंटन की पालना में मौके पर दखल दिया गया है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी ने मिस रिप्रजेन्टेशन तथा धोखाधड़ी कर राजस्व कर्मचारियों की सांठगांठ से स्वयं को शंकरलाल पुत्र श्योजीराम जाति बैरवा निवासी अहमदी बताकर आराजी को आवंटन करवा लिया है। जबकि अप्रार्थी शंकरलाल के पिता का नाम नैनूराम है। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की उद्घोषणा किये बिना ही किया गया आवंटन निरस्तनीय है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का कब्जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया। जिससे अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.05.1989 को अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र नैनूराम जाति बैरवा निवासी अहमदी तहसील किशनगंज को ग्राम अहमदी की आराजी खसरा नं. 243 रकबा 4.15 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:57 IST
Reason: SelfAttested